ए.

बालकृष्ण राम टार्ले का निधन एल. आर. एस. और ए. एन. आर. बनाम.

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। (2022 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 16013) सितंबर 26,2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002:धारा 14-मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के लिए-जिला मजिस्ट्रेट/नामित प्राधिकरण के दायरे और अधिकार क्षेत्र।14 – तथ्यों पर, सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता की मांग करने वाले सुरक्षित लेनदार द्वारा धारा 14 के तहत आवेदन-सुरक्षित परिसंपत्तियों के हिस्से के संबंध में किरायेदार होने का दावा करने वाले याची ने उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की-इसके बाद, नामित प्राधिकारी ने सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने से इनकार कर दिया और कहा कि सुरक्षित लेनदार द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके तीसरे व्यक्ति के किरायेदारी अधिकारों को समाप्त करने के बाद बंधक संपत्ति के कब्जे के संबंध में आगे के आदेशों का फैसला किया जाएगा-कुल, सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने नामित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को यह मानते हुए अपास्त करना दिया कि आदेश धारा 14 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के दायरे और दायरे से बाहर था, और निर्देश दिया कि14 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःमुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट यू/एस द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति।14 ये मंत्रिस्तरीय कदम हैं और इसमें किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है जो उधारकर्ताओं द्वारा सुरक्षित लेनदार के कब्जे में लेने वाले सुरक्षित लेनदार के खिलाफ उठाया गया है-एक बार सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद।14 सुरक्षित लेनदार द्वारा अनुपालन किया जाता है, कब्जा प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार के साथ-साथ सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की सहायता करने के लिए नामित प्राधिकारी पर कर्तव्य डाला जाता है-उस स्तर पर, उधारकर्ता और सुरक्षित लेनदार के बीच और/या किसी अन्य तीसरे पक्ष और पीड़ित पक्ष के बीच विवाद का निर्णय लेने के लिए नामित प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है ताकि डी. आर. टी. यू/एस. के समक्ष कार्यवाही में आपत्तियां उठाई जा सकें।17 – तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

437 ए.

438 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करना और निर्दिष्ट प्राधिकारी को एस के प्रावधानों के अनुसार आवेदन का निपटान करने का निर्देश देना।14 – इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया।

हर्षद गोवर्धन सोंडागर बनाम इंटरनेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2014) 6

बी.

एससीसी 1:[2014] 11 एस. सी. आर. 605; विशाल एन. कलसरिया बनाम बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। ; (2016) 3 एससीसी 762:[2016] 1 एस. सी. आर. 419-लागू नहीं होता है।

एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम सुबीर चक्रवर्ती

& ओआरएस। सिविल अपील सं. 1637/2022 पर निर्णय लिया गया

सी.

25.02.2022; मेसर्स आर**.** डी**.** जैन एंड कंपनी बनामकैपिटल फर्स्ट लिमिटेड

& ओआरएस। सिविल अपील सं. 175/2022 पर निर्णय लिया गया 27.07.2022-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

डी.

[2014] 11 एस**.** सी**.** आर**. 605** लागू नहीं होने वाला पैरा **6 [2016] 1** एस**.** सी**.** आर**. 419** लागू नहीं होने वाला पैरा **7**

एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 16013।

2021 की रिट याचिका संख्या 9749 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.08.2022 से।

ई.

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, शशिभूषण पी. अदगांवकर, ओंकार जयंत देशपांडे, अधिवक्तागण याचिकाकर्ताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एफ.

एम. आर. शाह, जे.

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका संख्या 9749/2021 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है- सुरक्षित लेनदार और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद इसे सरफेसी अधिनियम, 2002 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 14 के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 27.08.2021 के आदेश को अपास्त करना दिया है और ए के तहत नामित प्राधिकरण को निर्देश दिया है।

जी.

एच.

439

बालक्रिश्न राम टार्ले थर्स एलआरएस

v. फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन का नए सिरे से निपटान करने के लिए, मूल प्रत्यर्थी संख्या 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों ने गिरवी रखी गई संपत्ति का किरायेदार होने का दावा करते हुए, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी है।

2. रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (इसके बाद रेलिगेयर के रूप में संदर्भित) ने रु। उधारकर्ताओं के पक्ष में 6 करोड़।उक्त ऋण संपत्ति-सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में रेलिगेयर के पक्ष में उधारकर्ताओं द्वारा बनाए गए एक पंजीकृत बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया था।उधारकर्ताओं ने उक्त ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की जिसके कारण रेलिगेयर ने उधारकर्ताओं के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.) के रूप में वर्गीकृत किया।इसके बाद रेलिगेयर ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 13.04.2018 पर एक नोटिस जारी किया

जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त सुविधा के तहत बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया।कि इसके बाद, दिनांक 29.09.2018 के असाइनमेंट डीड द्वारा, रेलिगेयर ने उक्त ऋण समझौते के तहत अपना सारा अधिकार, स्वामित्व, ब्याज और लाभ प्रत्यर्थी संख्या 1 को सौंपा-उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याची संख्या 1।इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल याची संख्या 1 ने रेलिगेयर के स्थान पर कदम रखा और सुरक्षित लेनदार बन गया और उस क्षमता में उधारकर्ताओं को ऋण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 21.05.2019 दिनांकित एक नोटिस जारी किया। 5,83,22,866/-।इसके बाद, सुरक्षित लेनदार ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया। 21.09.2019 पर, उधारकर्ताओं को उनके दिनांकित 21.09.2019 पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी।प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में दो समाचार पत्रों में प्रतिभूति लेनदार द्वारा एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी। इसके बाद, सुरक्षित लेनदार ने सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए नामित प्राधिकारी-प्रत्यर्थी संख्या 3-जिला मजिस्ट्रेट, नासिक की सहायता के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया।याची -मूल प्रत्यर्थी संख्या 2, जो भूतल और पहली मंजिल के शोरूम के संबंध में किरायेदार होने का दावा करता है, ने 465 और 463 नंबर वाली सुरक्षित संपत्तियों के एक हिस्से पर सर्विस स्टेशन के साथ सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की। याची ने उधारकर्ताओं में से एक के खिलाफ अपने द्वारा दायर नियमित दीवानी मुकदमा संख्या 58/2018 में पारित दिनांक 20.04.2018 के एक आदेश पर भरोसा किया, जिसके तहत उधारकर्ताओं में से एक को उक्त परिसर से उसे बेदखल करने से रोक दिया गया था।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि न तो उधारकर्ता और न ही याची (गण) ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) के समक्ष कोई कार्यवाही शुरू की।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत उठाए गए कदमों के खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत। कि इसके बाद, नामित प्राधिकारी ने निम्नलिखित आदेश दिनांक 1 पारित किया और सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने से इनकार कर दिया और यह देखते हुए उक्त आवेदन को लंबित रखा कि वित्त कंपनी द्वारा याची के किरायेदारी अधिकारों की समाप्ति के बाद कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधक संपत्ति के कब्जे के संबंध में आगे के आदेश तय किए जाएंगे।27.08.2021 दिनांकित आदेश इस प्रकार हैः-

बी.

1. उपरोक्त निर्दिष्ट मुद्दों और निष्कर्षों में दर्ज कारणों को ध्यान में रखते हुए, वित्त कंपनी के आवेदन को निर्णय के लिए रखा जाता है।

सी.

2. तृतीय-व्यक्ति शिकायतकर्ता श्री के किरायेदारी अधिकारों की समाप्ति के बाद।वित्त कंपनी द्वारा बालकृष्ण राम तरले द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधक संपत्ति के कब्जे के संबंध में आगे के आदेश तय किए जाएंगे।3. यदि कोई पक्ष इस आदेश के कारण व्यथित महसूस करता है, तो वे प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

डी.

4. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।”

ई.

2.1 नामित प्राधिकारी-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नासिक द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने का कोई आदेश पारित नहीं करने के लिए पारित दिनांक 1 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, सुरक्षित लेनदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने नामित प्राधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को यह कहते हुए अपास्त करना दिया है कि ऐसा आदेश सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के दायरे और दायरे से बाहर है। इसके बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने नामित प्राधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन की सुनवाई और निपटान करने का निर्देश दिया है।

एफ.

जी.

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, तीसरा याची (गण) ए का दावा करते हुए

एच.

441

बालक्रिश्न राम टार्ले थर्स एलआरएस

v. फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कुछ सुरक्षित परिसंपत्तियों में किरायेदार होने के लिए उन्होंने वर्तमान विशेष अवकाश याचिका को प्राथमिकता दी है।

3. याची ओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और जब याची ओं ने कुछ सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में मूल मकान मालिक का किरायेदार होने का दावा विद्वान था, जिनमें से कब्जा मांगा गया था और जब मूल रिट याची ने मूल मकान मालिक के जूते में कदम रखा, जैसा कि नामित प्राधिकारी द्वारा सही देखा गया था-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जब तक कि मूल मकान मालिक के जूते में कदम रखने वाला सुरक्षित लेनदार किरायेदार को बेदखल करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं करता है, तब तक सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन में कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है।

बी.

सी.

3.1 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवारे द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान गया है कि उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि किरायेदारी संपत्ति के बंधक से पहले से मौजूद थी और जारी थी और इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और जब तक किरायेदार को बेदखल करने की कार्यवाही शुरू नहीं की जाती, तब तक सुरक्षित लेनदार जो मूल मकान मालिक के स्थान पर होगा, उसे सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन में कब्जा नहीं मिल सकता है। निर्णयों पर भरोसा रखा जाता है

डी.

हर्षद गोवर्धन सोंडागर बनाम इंटरनेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के। **; (2014) 6** एस**.** सी**.** सी**. 1** और विशाल एन**.** कलसरिया बनाम बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। **; (2016) 3** एससीसी **762**।

ई.

4. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्यवाही शुरू करने और सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत कदम उठाने के बाद, सुरक्षित लेनदार ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन जमा करके जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया है और जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से सुरक्षित संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने का अनुरोध किया है।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि न तो मूल उधारकर्ताओं और न ही याचिकाकर्ताओं ने, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों के किरायेदार होने का दावा कर रहे हैं, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही शुरू की है। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत की गई थी। उक्त आवेदन में कोई अंतिम आदेश पारित करने के बजाय सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत

एफ.

जी.

एच.

सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करें और उक्त आवेदन को रखते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया है कि वित्त कंपनी (सुरक्षित लेनदार) द्वारा याची के किरायेदारी अधिकारों की समाप्ति के बाद ही कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधक संपत्ति के कब्जे के संबंध में आगे के आदेश, उक्त आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करना दिया गया है जो वर्तमान विशेष अनुमति याचिका का विषय है।

बी.

5. इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट/नामित प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित कर सकते थे कि जब तक और जब तक सुरक्षित लेनदार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके तीसरे व्यक्ति के किरायेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं करता है और बंधक संपत्ति के कब्जे के संबंध में आगे के आदेश तब और फिर केवल सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा?

सी.

डी.

5.1 उपरोक्त प्रश्न/मुद्दे पर विचार करते समय, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट/नामित प्राधिकारी के दायरे, दायरे और अधिकार क्षेत्र पर विचार किया जाना आवश्यक है।सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 निम्नानुसार हैः-

ई.

"14. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित राशि पर कब्जा करने में सहायता करने के लिए

संपत्ति।—(1) जहां किसी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया जाना आवश्यक है या यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षित संपत्ति में से किसी को भी सुरक्षित लेनदार द्वारा बेचा या स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, तो सुरक्षित लेनदार, ऐसी किसी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई सुरक्षित संपत्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित या पाए जा सकते हैं, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, उसे किए जा रहे ऐसे अनुरोध पर -

एफ.

जी.

(क) ऐसी संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना; और

(ख) ऐसी परिसंपत्ति और दस्तावेज सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करेंः

एच.

443

बालक्रिश्न राम टार्ले थर्स एलआरएस

v. फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

[बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी भी आवेदन के साथ सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि किया गया एक शपथ पत्र होगा, जिसमें घोषणा की जाएगी कि -

(i) दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि और आवेदन दाखिल करने की तारीख तक बैंक का कुल दावा; (ii) उधारकर्ता ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है और यह कि बैंक

या वित्तीय संस्थान ऐसी संपत्तियों पर वैध और स्थायी प्रतिभूति ब्याज धारण कर रहा है और बैंक या वित्तीय संस्थान का दावा सीमा अवधि के भीतर है;

बी.

सी.

(iii) उधारकर्ता ने उपरोक्त उपखंड (ii) में निर्दिष्ट संपत्तियों का विवरण देते हुए विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है;

((iv) उधारकर्ता ने निर्दिष्ट राशि को एकत्रित करते हुए दी गई वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है; (v) वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

डी.

(vi) यह पुष्टि करते हुए कि धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रावधानों द्वारा आवश्यक साठ दिनों के नोटिस की अवधि, जिसमें चूक की गई वित्तीय सहायता के भुगतान की मांग की गई है, उधारकर्ता को दी गई है;

ई.

(vii) उधारकर्ता से प्राप्त नोटिस के जवाब में आपत्ति या अभ्यावेदन पर सुरक्षित लेनदार द्वारा विचार किया गया है और ऐसी आपत्ति या अभ्यावेदन की अस्वीकृति के कारणों को उधारकर्ता को सूचित कर दिया गया है;

एफ.

(viii) उधारकर्ता ने उपरोक्त सूचना के बावजूद वित्तीय सहायता का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया है और इसलिए अधिकृत अधिकारी मूल अधिनियम की धारा 14 सहपठित धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का हकदार है।

जी.

((ix) कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन किया गया थाः

बशर्ते कि प्राधिकृत अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या प्रमुख से शपथ पत्र प्राप्त होने पर

एच.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, हलफनामे की सामग्री को संतुष्ट करने के बाद [आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर] सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से उपयुक्त आदेश पारित करेंगे।

[बशर्ते कि यदि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो वह इसके लिए लिखित कारण दर्ज करने के बाद, ऐसी आगे की अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर साठ दिनों से अधिक नहीं।]परन्तु यह भी कि पहले परंतुक में वर्णित शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, किसी भी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।
[(1 क) जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है,-(i) ऐसी संपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए; और (ii) ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करना।

बी.

सी.

डी.

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकता है या उठा सकता है और ऐसे बल का उपयोग कर सकता है, जो उसकी राय में आवश्यक हो।

ई.

(3) इस धारा के अनुसरण में किए गए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट [मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी] के किसी भी कार्य पर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

एफ.

5.2 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के निष्पक्ष अध्ययन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए, सुरक्षित लेनदार एक लिखित आवेदन के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए बाध्य है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने और आगे की कार्रवाई के लिए उसे (सुरक्षित लेनदार) भेजे जाने का अनुरोध किया जाता है।

जी.

एच.

445

बालक्रिश्न राम टार्ले थर्स एलआरएस

v. फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

सीएमएम/डीएम पर आदेशित वैधानिक दायित्व उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित लेनदार से एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई करना है।जैसे ही ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, सी. एम. एम./डी. एम. से अपेक्षा की जाती है कि वह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 (1) में परंतुक में निर्दिष्ट सुरक्षित लेनदार द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन के सत्यापन के बाद और उस संबंध में संतुष्ट होने के बाद, सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने और इसे जल्द से जल्द सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने का आदेश पारित करेगा।जैसा कि एन. के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

बी.

सीमित बनाम। सुबीर चक्रवर्ती और अन्य। (सिविल अपील सं. 1637/2022)

25.02.2022 पर निर्णय लिया गया, उपरोक्त अधिनियम एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है।यह देरी को रोक नहीं सकता है।समय का सार है और यही विशेष अधिनियम की भावना है।मेसर्स आर. डी. जैन एंड कंपनी के मामले में हाल के निर्णय में। बनाम। कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और अन्य। (सिविल अपील सं. 175/2022) ने 27.07.2022 पर निर्णय लिया, इस न्यायालय के पास सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर विचार करने का अवसर था। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के उद्देश्य और उद्देश्य और धारा 14 के तहत अधिनियम की योजना पर विचार करने के बाद, इसे पैराग्राफ 7 से 9 में निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता हैः- “7. अब जहाँ तक सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत डी. एम. और सी. एम. एम. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संबंध है, उन उद्देश्यों और कारणों का विवरण जिसके लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया है, निम्नानुसार हैः-

सी.

डी.

ई.

“उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अपनी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास में सफलता प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र प्रमुख चालकों में से एक रहा है।जबकि भारत में बैंकिंग उद्योग उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों और लेखा प्रथाओं का पालन कर रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के पास दुनिया के वित्तीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की तुलना में समान अवसर नहीं है।बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की सुविधा के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के विपरीत, भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं है। वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित हमारे मौजूदा कानूनी ढांचे ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल नहीं रखा है।यह है

एफ.

जी.

एच.

इसके परिणामस्वरूप चूक करने वाले ऋणों की वसूली की गति धीमी हो गई और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर बढ़ गया।नरसिम्हम समिति I और II और बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा गठित अंधारुजिना समिति ने इन क्षेत्रों के संबंध में कानूनी प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर विचार किया है।इन समितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण के लिए एक नया कानून बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाने का सुझाव दिया है।इन सुझावों पर कार्रवाई करते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 को 21 जून, 2002 को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण को विनियमित करने और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए लागू किया गया था।अध्यादेश के प्रावधान बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, तरलता की समस्या का प्रबंधन करने, परिसंपत्ति देयता विसंगतियों और प्रतिभूतियों का कब्जा लेने, उन्हें बेचने और वसूली या पुनर्निर्माण के उपायों को अपनाकर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करके वसूली में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे।"

बी.

सी.

डी.

इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का अंतर्निहित उद्देश्य भारत में वित्तीय संस्थानों को उनके समकक्षों, अर्थात् अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा प्राप्त समान शक्तियों के लिए सशक्त बनाना है।ऐसी ही एक विशेषता वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाना है।इसका अनुवाद सरफेसी अधिनियम के अध्याय III के तहत आने वाले प्रावधानों में किया गया है। धारा 13 सुरक्षा हित के प्रवर्तन से संबंधित है।इसकी उप-धारा (4) में यह परिकल्पना की गई है कि यदि उधारकर्ता द्वारा उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करने में चूक की जाती है, तो सुरक्षित लेनदार उप-धारा (4) में दिए गए उपायों में से एक या अधिक का सहारा ले सकता है। एक उपाय यह है कि उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाए, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है।वह, वे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 (ए) में परिभाषित अपने "अधिकृत अधिकारी" के माध्यम से कर सकते हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

447

बालक्रिश्न राम टार्ले थर्स एलआरएस

v. फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

7.1 सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के बाद, उन्हें पट्टे पर देने, सौंपने या बेचने के लिए आगे के कदम भी सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए जा सकते हैं।हालांकि, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 भविष्यवाणी करती है कि यदि सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का इरादा रखता है, तो उसे लिखित रूप में एक आवेदन के माध्यम से सी. एम. एम./डी. एम. से संपर्क करना चाहिए, और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, सी. एम. एम./डी. एम. को सही तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए।उस पर एक आदेश पारित करने के बाद, उसे (सी. एम. एम./डी. एम.) सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 (2) सहपठित धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार को भेजा

जा सके। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 14 (2) एक सक्षम प्रावधान है और सीएमएम/डीएम को ऐसे कदम उठाने और बल का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो उनकी राय में आवश्यक हो।7.2 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उप-धारा (1 ए) को शामिल करने के साथ-साथ, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में परंतुक भी जोड़ा गया है, जिसके तहत सुरक्षित लेनदार को अब कुछ शर्तों का पालन करना होगा और उस संबंध में अपने अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए शपथ पत्र के साथ एक आवेदन के माध्यम से इसका खुलासा करना होगा।उप-धारा (1 ए) एक व्याख्यात्मक प्रावधान की प्रकृति में है और यह केवल अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी की सेवा लेने में सीएमएम/डीएम की अंतर्निहित शक्ति को दोहराती है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है

बी.

सी.

डी.

ई.

एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (ऊपर) का मामला,

उप-धारा (1 ए) को सम्मिलित करने का अर्थ पहली बार सीएमएम/डीएम में नई शक्ति का निवेश करना नहीं है।

8. इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम की योजना पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री की पुष्टि के साथ-साथ बिक्री की पुष्टि के बाद भी सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लिया जा सकता है।सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए, यह बैंक के "अधिकृत अधिकारी" द्वारा किया जा सकता है जैसा कि प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 में उल्लेख किया गया है।

एफ.

जी.

8.1 हालांकि, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए, सुरक्षित लेनदार एक लिखित आवेदन के माध्यम से सीएमएम/डीएम से संपर्क करने के लिए बाध्य है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने का अनुरोध किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे (सुरक्षित लेनदार) भेजा जाता है।वैधानिक दायित्व

एच.

सीएमएम/डीएम को उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित लेनदार से सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जैसे ही ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, सी. एम. एम./डी. एम. से अपेक्षा की जाती है कि वह सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) में परंतुक में निर्दिष्ट सुरक्षित लेनदार द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन के सत्यापन के बाद और उस संबंध में संतुष्ट होने के बाद, सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने और इसे जल्द से जल्द सुरक्षित लेनदार को भेजने का आदेश पारित करेगा।जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 द्वारा अनिवार्य है, सीएमएम/डीएम को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करना होगा और आवेदन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से एक उपयुक्त आदेश पारित करना होगा, जिसे ऐसी आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर साठ दिनों से अधिक नहीं।इस प्रकार, सीएमएम/डीएम द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है।वह देरी नहीं कर सकता।समय का महत्व है।यह विशेष अधिनियम की भावना है।जैसा कि एन. के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है, सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेते समय उठाया गया कदम एक मंत्रिस्तरीय कदम है।इसे सी. एम. एम./डी. एम. स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से लिया जा सकता है, जिसमें अधिवक्ता आयुक्त भी शामिल है जिसे उसकी न्यायालय का अधिकारी माना जाता है।धारा 14 सी. एम. एम./डी. एम. को व्यक्तिगत रूप से जाने और उससे संबंधित सुरक्षित संपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए बाध्य नहीं करती है।इस प्रकार, हम दोहराते हैं कि सीएमएम/डीएम द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत उठाया जाने वाला कदम एक मंत्रिस्तरीय कदम है।सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन का निपटान करते समय, अर्ध-न्यायिक कार्य या दिमाग के अनुप्रयोग के किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं होगी। मजिस्ट्रेट को निर्णय लेना होता है और आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता पर निर्णय लेना होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।इसलिए, धारा 14 में एक न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं है जो उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने वाले सुरक्षित लेनदार के खिलाफ उठाई गई है।9. इस प्रकार, सर्फेसी अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 और विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की प्रकृति, ए में उच्च न्यायालय

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

449

बालकृष्णा राम टार्ले थर्स एलआरएस

v. फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

विवादित निर्णय और आदेश ने उचित रूप से अवलोकन विद्वान है और अभिनिर्धारित विद्वान है कि विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/विद्वान जिला मजिस्ट्रेट में निहित शक्ति व्यक्ति पदनाम के रूप में नहीं है।" इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां मंत्रिस्तरीय कदम हैं और धारा 14 में सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने वाले सुरक्षित लेनदार के खिलाफ उधारकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी निर्णयात्मक प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है।इस मामले को ध्यान में रखते हुए एक बार जब सुरक्षित लेनदार द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन/संतुष्टि की जाती है, तो सीएमएम/डीएम पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह सुरक्षित लेनदार को कब्जा प्राप्त करने में सहायता करे और साथ ही साथ सुरक्षित संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी और/या अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त अधिवक्ता की मदद से प्राप्त करें।उस स्तर पर, सीएमएम/डीएम को उधारकर्ता और सुरक्षित लेनदार के बीच और/या किसी अन्य तीसरे पक्ष और सुरक्षित लेनदार के बीच सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में विवाद का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है और पीड़ित पक्ष को ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्यवाही में आपत्तियां उठाने के लिए हटा दिया जाना चाहिए।वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 27.08.2021 के आदेश को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जब तक कि सुरक्षित लेनदार किरायेदार को बेदखल करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं करता है, तब तक आवेदन को लंबित रखता है। उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन के साथ आगे बढ़ने और सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार इसका निपटारा करने का निर्देश दिया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

6. अब जहाँ तक इस निर्णय पर निर्भरता है

हर्षद गोवर्धन सोंडागर (ऊपर) के मामले में न्यायालय द्वारा

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का संबंध है, वही मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, वह यह है कि डी. एम./सी. एम. एम. को गिरवी रखने वाले/उधारकर्ता के "वर्ग (1) या (2)" पट्टेदार होने का दावा करने वाली सुरक्षित संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुरक्षित लेनदार को नोटिस और सुनवाई का अवसर देना होगा, और फिर निर्णय लेना होगा।उक्त निर्णय में, यह नहीं देखा गया है कि डी. एम./सी. एम. एम. को पक्षों के बीच अधिकारों पर निर्णय लेना है।

जी.

एच.

7. अब जहाँ तक याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशाल एन. कलसरिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है, उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर भी लागू नहीं होगा।उक्त निर्णय में, इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 और सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दावे के टकराव का था, और कौन सा कानून प्रबल होगा।एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के दायरे और दायरे पर इस न्यायालय के समक्ष सीधे सवाल नहीं थे।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, किसी निर्णय की व्याख्या नहीं की जा सकती है और इसे क़ानून के रूप में पढ़कर तथ्य स्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता है।कोई भी निर्णय से एक शब्द या वाक्य को यह समझने के लिए नहीं ले सकता है कि यह मामले के प्रासंगिक पहलुओं पर अनुपात निर्णय है (पैरा 33)।

बी.

सी.

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने निर्णय और आदेश पारित करने और निर्दिष्ट प्राधिकारी को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन का निपटान करने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है।

डी.

निधि जैन

एसएलपी खारिज कर दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.